राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6491/2022

रामबाबु गुर्जर (कर्मचारी आईडी.–आरजेजेडब्ल्यू201122010276)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2022
आदेश की दिनांक : 04.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चुड़ेलिया झालावाड़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पहाड़ी जिला भरतपुर में किया गया है। उनका यह तर्क है कि आदेश दिनांक 26.07.2018 के द्वारा कार्यालय निर्वाचक रजि. पदाधिकारी (एसडीएम) मनोहरथाना द्वारा अपीलार्थी को बीएलओ नियुक्त किया था। वर्तमान में निर्वाचन विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2022 के द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ को वर्तमान स्थान से 5

जनवरी, 2023 तक स्थानांतरण में प्रतिबंध लगाया है। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश के विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश पारित किये गए है। अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जाने व आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. हमनें विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया।

4. निवार्चन विभाग का जो आदेश दिनांक 03.11.2022 का संदर्भ अपीलार्थी ने दिया है, उसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक है। वर्तमान प्रकरण में प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को जो बीएलओ पद पर नियुक्ति दी गई थी, वह 2018 में बूथ संख्या में संख्या 116 से 120 व 136 से 139 में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कार्य आवंटन किया गया था। यह प्रकट नहीं होता है कि वर्तमान में अपीलार्थी को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का कोई कार्य दिया गया हो। ऐसे में निवार्चन विभाग द्वारा उक्त आदेश दिनांक 03.11.2022 अपीलार्थी के संबंध में प्रासंगिक नहीं है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया उचित नहीं है।

5. अतः यह अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)